विवरण

क्षेत्र का नाम	स्थान	बैठक की तिथि
दक्षिणी क्षेत्र		
(आंन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु पांडिचेरी और लक्षद्वीप)	मद्रास	6–10–87
पूर्वी क्षेत्र		
(पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)	कलकत्ता	31–10–87
उत्तरी क्षेत्र		
(पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, और चंडीगढ़ प्रशासन)	दिल्ली	12–12–87
पश्चिमी क्षेत्र		
(महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नागर हवेली)	बम्बई	17–12–87
उत्तर पूर्व क्षेत्र		
असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम	गुवाहाटी	9–10–92
केंद्रीय क्षेत्र		
(उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश)	—	*

** केन्द्रीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्री की अस्वस्थता के कारण तथा तदोपरांत उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिये जाने के कारण बैठक आयोजित नहीं की जा सकती । चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र तथा अन्य क्षत्रों में भी समिति की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है ।

Complaints against PSUs for violation of contract labour (Abolition and Regulation) Act.

7417. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) the names of PSUs against whom complaints have been pending with Government on account of illegal termination of services of employees and violation of the provisions of Contract Labour (Abolition and Regulation) Act;

(b) whether Government have taken up those cases with the concerned PSUs to get them rectified; and

(c) if so, the facts and reasons thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.